प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.09.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.09.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरा बेटा उम्र करीब 13 वर्ष जो अल्वीनगर के पास एक मदरसे में रहकर पढाई करता है, उसके साथ मदरसे के कारी (शिक्षक) द्वारा गंदी/अश्लील हरकतें करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। जिसके आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त साकिब पुत्र शमशुद्दीन निवासी फातिमा मस्जिद अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को अल्वी नगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त साकिब पुत्र शमशुद्दीन उपरोक्त ने बताया कि मैं मदरसे में कारी (शिक्षक) का काम करता हूँ। आवेदक का पुत्र जो उसी मदरसे में ही रहकर पढाई करता है, उसको मैं अक्सर रात को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ गंदी/अश्लील हरकतें करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

साकिब पुत्र शमशुद्दीन निवासी फातिमा मस्जिद अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.08.2024 को वादी ने थाना मोदीनगर पर प्रार्थना-पत्र दिया कि अभियुक्तों 1.वसीम पुत्र मउनूद्दीन निवासी हरमुखपुरी, मोदीनगर 2.मोन्टी पुत्र नवाब व 3-4 अन्य लोगों द्वारा वादी की नाबालिक बेटी की तरफ अश्लील हरकत करना जिसका वादी के द्वारा विरोध करने पर मारपीट करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा वादी की गाड़ी में ईटो से तोड़फोड़ करना। जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 30.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र मऊनुद्दीन निवासी हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व दिनांक 01.09.2024 को वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी सीकरी कलाँ साहबनगर चौकी के पास मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष व दिनांक 02.09.2024 को वांछित अभियुक्त मोनिश मलिक उर्फ मोन्टी पुत्र नवाब खान निवासी म.न.-126

हरमुखपुरी गेट न0-02 मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष व दिनांक 03.09.2024 को वांछित अभियुक्त अजरूद्दीन मलिक उर्फ भूरा उर्फ समीर पुत्र मैनूद्दीन निवासी 155 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा चुका है।

दिनांक 03.09.2024 की रात्रि में थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त नजमुद्दीन मलिक उर्फ नजमू पुत्र मैनूद्दीन निवासी हरमुखपुरी विसोखर रोड के सामने, थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष को दुहाई से गिरफ्तार किया गया जिसको न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त नजमुद्दीन मलिक उर्फ नजमू पुत्र मैनूद्दीन निवासी हरमुखपुरी विसोखर रोड के सामने थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने वसीम पुत्र मुऊनुद्दीन व जावेद पुत्र शाहबुद्दीन तथा मोनिश मलिक उर्फ मोन्टी पुत्र नवाब खान व अजरूद्दीन मलिक उर्फ भूरा उर्फ समीर के साथ मिलकर आवेश में आकर उक्त घटना कारित कर दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नजमुद्दीन मलिक उर्फ नजमू पुत्र मैनूद्दीन निवासी हरमुखपुरी विसोखर रोड के सामने थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सन्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर बर्बर हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 17-8-24 को वादी श्री अमन स्वामी पुत्र अजय स्वामी निवासी आई-008 केडब्लू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा साला तरुण पवांर दिनांक 16-8-24 की शाम से घर से मोरटी गांव काम से जाने के लिए बता कर निकला था, तब से ही उसका फोन स्विच ऑफ है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी, गुमशुदा का काफी खोज बीन के बाद भी सुराग ना लगने पर दिनांक 20-8-24 को उक्त के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, दिनांक 24-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तो (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त अंकुर को दिनांक 27-8-24 को व 01 अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीते को दिनांक 28-8-24 को,व अभियुक्तगण में से 02 अभियुक्तगण अक्षय व मनोज को दिनांक 28-8-24 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया व घटना में शामिल आठवाँ वांछित अभियुक्त अंकित को दिनांक 04-9-24 गिरफ्तार किया गया।

अभि0 का नाम व पता-

1) अंकित पुत्र मुकेश निवासी ग्राम धुमैडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अंकित ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी दीपांशु, जीते , अंजली ,अक्षय , अंकुर , पवन व वंश के साथ मिलकर तरूण पवांर उपरोक्त की हत्या करने की योजना बनायी थी। दीपांशु व मेरे के मकान मालिक मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना बापूधाम जनपद गाजियाबाद भी हमारी योजना में शामिल थे, हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से तरुण पंवार की हत्या की थी । तरुण पंवार इन्टीरियर डिजाइनिंग का काम करता था तथा अंजली जिसका अपने पति से छुटछुटाव हो गया है जो अक्षय की साली है। तरुण पंवार की अंजली के साथ नजदीकी थी, अजंली को पवन भी चाहता था। दिनांक 16.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से दीपांशु उपरोक्त ने तरूण पंवार को फोन कर घर में इन्टीरियर डिजाइन का काम करने के बहाने से मोरटा में अपने किराये के मकान में बुलाया था जहाँ पहले से ही पवन , वंश, अंकुर, दीपांशु, जीते व मैं पहले से मौजूद थे। तरुण के आने पर हम लोगों ने उसे अन्दर कमरे में बैठा लिया था और रस्सी डालकर गला दबाया जिससे वह बेसुद हो गया, और उसके साथ मारपीट उसके सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी थी । मैने तरूण के पैर पकड रखे थे , जब हम यकीन हो गया कि तरुण मर गया, तब जीते और अंकुर वहां से मो0सा0 से निकल गये थे, तथा पवन, वंश, दीपांश व मैं वही तरुण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं रुक गये थे, जिनके द्वारा बाद में तरुण पंवार की लाश को ठिकाने लगाया गया था।

बरामदगी का विवरण-

1 तीन नायलॉन रस्सी लाल रंग के टुकडे

2 एक मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर रंग काला-नीला नं0 UP13W8556)

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा ई- रिक्शा काटने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कटा हुआ 01 ई-रिक्शा, लोहा काटने का कटर व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 04.09.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ई-रिक्शा काटने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.सलमान पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी एफ- 341 न्यू सीमापुरी उम्र 25 वर्ष, 2.राहिल पुत्र फिरोज निवासी ई-1/250 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 21 वर्ष को गली नं0 1 खाली ग्राउड के पास पतली गली के कोने के पास परचून की दूकान के बगल वाले घर में पप्पू कालोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से कटा हुआ 01 ई-रिक्शा, लोहा काटने का कटर व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो नें यह ई-रिक्शा कुछ दिन पहले नन्द नगरी दिल्ली से चोरी किया था । हम दोनो ई-रिक्शा चोरी करने के बाद फर्जी नंबर प्लेट लगा देते है । चोरी किये गये ई-रिक्शा को हम दोनो मिलकर लोहे काटने वाले कटर से काटकर कबाडी को बेच देते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.सलमान पुत्र ग्यासुद्दीन निवासी एफ- 341 न्यू सीमापुरी उम्र 25 वर्ष

2.राहिल पुत्र फिरोज नि0 ई-1/250 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से कटा हुआ 01 ई-रिक्शा, लोहा काटने का कटर व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल, 03 स्कूटी व 06 मोबाइल फोन (भिन्न- भिन्न कम्पनी के) बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 04.09.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 08 शातिर अभियुक्त 1.नवीन उर्फ तोतली पुत्र प्रभू शंकर निवासी गली नं0 8 हर्ष विहार दिल्ली उम्र 20 वर्ष, 2.लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू निवासी नीतू की डेरी के सामने गली में पहला मकान पंचशील कालोनी थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 3. सूरज पुत्र महिपाल सिंह निवासी गली नं0 16 पीर वाली हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष, 4.राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0नं0 290 गली न0 04 हाजीपुर बेहटा थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष, 5. रवि उर्फ काली पुत्र माता प्रसाद निवासी म0नं0 42 गली नं0 02 संतोष विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, 6.राहुल मोर्या पुत्र अच्छे लाल निवासी 30 फुटा रोड गली नं0 16 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष, 7.लुकमान पुत्र मंजूद निवासी सुनहरी मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, 8.अमन पुत्र यशपाल निवासी M4U सिनेमा के पास 99 कॉलोनी राजबाग राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को कोयल एन्कलेव गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल, 03 स्कूटी व 06 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी मिलकर मोटर साइकिल, स्कूटी व मोबाइल फोन आदि की चोरी करते है। हम पहले भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुके है। हम नशे के आदी है। हम पर मुकदमों की पैरवी व नशे का खर्चा नही चल पाता है। इसलिये हम सभी मिलकर चोरी करते है। चोरी के माल को अपनी मजबूरी बताकर अजान व्यक्तियों को बेच देते है। इस प्रकार हम अपना व अपने परिवार वालो का खर्चा चलाते है। हम से प्राप्त मोटर साइकिल, स्कूटरी व मोबाइल फोन चोरी का ही है। जिन्हे बेचने की फिराक घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. नवीन उर्फ तोतली पुत्र प्रभू शंकर निवासी गली नं0 8 हर्ष विहार दिल्ली उम्र 20 वर्ष।
2. लकी उर्फ अनुराग पुत्र चिन्टू निवासी नीतू की डेरी के सामने गली में पहला मकान पंचशील कॉलोनी थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
3. सूरज पुत्र महिपाल सिंह निवासी गली न0 16 पीर वाली हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
4. राजन जोशी पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0न0 290 गली न0 04 हाजी पुर बेहटा थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
5. रवि उर्फ काली पुत्र माता प्रसाद निवासी म0न0 42 गली न0 02 संतोष विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
6. राहुल मोर्या पुत्र अच्छे लाल निवासी 30 फुटा रोड़ गली न0 16 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
7. लुकमान पुत्र मंजूद निवासी सुनहरी मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
8. अमन पुत्र यशपाल निवासी M4U सिनेमा के पास 99 कालोनी राजबाग राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल, 03 स्कूटी व 06 मोबाइल फोन (भिन्न- भिन्न कम्पनी के) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:

- अभियुक्त नवीन उर्फ तोतली उपरोक्त के विरुद्ध थाना हर्ष विहार दिल्ली पर चोरी का 01, थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर चोरी का 01,थाना टीलामोड़ पर लूट व चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

- अभियुक्त लकी उर्फ अनुराग उपरोक्त के विरुद्ध थाना हर्ष विहार दिल्ली पर चोरी व हत्या का 01-01 अभियोग, थाना टीलामोड़ गाजियाबाद पर चोरी व लूट व चोरी के 02-02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त सूरज पुत्र महिपाल सिंह उपरोक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हर्ष विहार व थाना कृष्णा नगर दिल्ली पर चोरी का 01-01,थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग व थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त राजन जोशी उपरोक्त के विरुद्ध पर थाना नन्द नगरी दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग,थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग व थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त रवि उर्फ काली उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दनगरी व थाना तिमारपुर दिल्ली पर चोरी का 01-01 अभियोग व थाना टीलामोड़ गाजियाबाद पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त राहुल मोर्या उपरोक्त पर थाना नन्दनगरी व मानसरोवर पार्क दिल्ली पर चोरी का 01-01 व थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त लुकमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना तिमारपुर दिल्ली, थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली, थाना कृष्णा नगर शाहदरा दिल्ली पर चोरी का 01-01 व थाना टीलामोड़ गाजियाबाद पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त अमन उपरोक्त पर थाना तिमारपुर दिल्ली, थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली, थाना कृष्णा नगर दिल्ली पर चोरी का 01-01 व थाना टीलामोड पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

आज दिनांक 04.09.2024 को पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद स्थित शहीद परमजीत हॉल में कमिश्नरेट गाजियाबाद में पिंक बूथों के उदघाटन एवं स्थापना का 01 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत होने के फलस्वरूप आयोजित कार्यक्रम में श्री असीम अरूण, माननीय राज्यमंत्री, समाज कल्याण, उ0प्र0 सरकार द्वारा पिंक बूथों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी।

दिनांक 03.09.2023 को पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में गाजियाबाद के 20 पिंक बूथ का वर्चुअल उद्घाटन तथा सभी 20 चार पहिया पिंक पुलिस मोबाइलों को मुख्य अतिथि जनरल (डॉ0) विजय कुमार सिंह (रिटायर्ड) तत्कालीन मा0 मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त अवसर पर गाजियाबाद के पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पिंक मोबाइलों पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, पुलिस मॉडर्न स्कूल की छात्राएं भी उपस्थित रहे। वर्तमान में प्रत्येक पिंक बूथ 24*7 तीन शिफ्टों में कार्यरत है, जिसमें प्रत्येक पिंक बूथ में शत प्रतिशत महिलाकर्मी कार्यरत हैं, जिनकी प्रभारी एक महिला उप निरीक्षक है। सभी पिंक बूथों पर चार पहिया वाहन मय चालक, सीयूजी नम्बर, वायरलेस सेट एवं पारदर्शिता हेतु सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित किया गया। पिंक बूथ का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण थाना क्षेत्र है। इनके संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गयी, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत पर कार्यवाही का फीडबैक लिया जाना अनिवार्य किया गया है।

पिंक बूथ की स्थापना का उद्देश्य सेफ सिटी परियोजना एवं मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानित जीवन एवं स्वावलम्बन के साथ-साथ एक भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। पिंक बूथ के प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनसे सम्बन्धित हेल्पलाइन की जानकारी देना, उनको कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सहज वातावरण तैयार करना, महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना, स्कूल/कॉलेजों में जाकर बालिकाओं को अपराधों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं/बच्चियों की काउंसलिंग करना, स्कूल व कॉलेज के खुलने व बंद होते समय व मॉल/बाजार/मेलों इत्यादि

स्थानों पर विशेष निगरानी करना, पारिवारिक कलह व दहेज के मामलों में प्राइवेट महिला एवं पुरूष काउंसलरों की सहायता से दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर परिवारों को टूटने से बचाना, महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील स्थानों की गस्त व पेट्रोलिंग, चैपालों का आयोजन कर अन्य विभागों से समन्वय बनाना, महिलाओं/बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना, गुमशुदा बच्चों/घर से भटकी हुयी मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं एवं बालिकाओं को तलाश कर उनके परिजनों के सुपुर्द करना, जीवन से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिलाओं की काउंसलिंग कर जीवन के प्रति उनकी आस्था की पुनर्स्थापना करना आदि प्रमुख हैं। पिंक बूथों के द्वारा अब तक 600 से अधिक ग्राम पंचायतों व वार्डों में 5500 के करीब जागरूकता कार्यक्रम कराये गये, जिनमें 1.09 लाख के करीब लोगों ने भाग लिया। करीब 600 स्थानों पर लघु फिल्मों तथा 70 स्थानों पर पीए सिस्टम के द्वारा, 921 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा 1750 कार्यक्रम विभिन्न स्कूल/कॉलेजों में कराये गये, इसके अतिरिक्त ऑटो स्टैण्ड, बास स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थलों पर करीब 8866 कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। पिंक बूथों के माध्यम से अब तक 201 गुमशुदा/मंदबुद्धि महिला एवं बच्चों को सकुशल उनके घर अथवा सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। पिंक बूथ की स्थापना के पश्चात महिला सम्बन्धी अपराधों यथा-दहेज हत्या में 36.21% महिला उत्पीड़न/दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 29.77%, शीलभंग में 23.02%, बलात्कार में 24.53% एवं अपहरण में 16.55% की उल्लेखनीय कमी आयी है। पिंक बूथ की स्थापना के पश्चात 01 वर्ष में कुल 7228 प्रार्थना पत्र पिंक बूथों पर प्राप्त हुए, जिनमें से 7076 (करीब 98%) प्रार्थना पत्रों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। अब तक पारिवारिक झगड़े/कलह आदि के 1296 प्रकरणों में विभिन्न पक्षों की काउंसलिंग करते हुए 1001 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया, जिनमें 576 परिवार आपसी समझौते के साथ रह रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त, महिला अपराध द्वारा पिंक बूथों की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए गाजियाबाद में पिंक बूथ द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पिंक बूथ प्रभारियों 1. म0उ0नि0 रश्मि कुन्तल, पिंक बूथ प्रभारी लोनी तिराहा, थाना लोनी 2. म0उ0नि0 संदीपा मलिक, पिंक बूथ प्रभारी शिप्रा मॉल, थाना इन्दिरापुरम् 3. म0उ0नि0 सरिता मौर्य, पिंक बूथ प्रभारी संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर 4. म0उ0नि0 दुष्यन्त निम, पिंक बूथ प्रभारी वैशाली थाना कौशाम्बी एवं म0उ0नि0 राखी शर्मा, पिंक बूथ प्रभारी बाईपास, थाना क्रोसिंग रिपब्लिक को पुरस्कृत किया गया तथा उनको बधाई एवं शुभकामनायें दी गयीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में पिंक बूथ पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा में उठाये गये कदम एवं उसके उल्लेखनीय परिणाम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मा0 मुख्यमंत्री, महोदय उ0प्र0 द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रारम्भ किये गये मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान एवं सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाना एवं इसके लिए पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दिया जाना बताया गया। मा0 मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में पिंक बूथों द्वारा बहुत अच्छी प्रक्रियाओं यथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), तकनीक आदि का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों की सराहना की गयी तथा PEOPLE PROCESS AND TECHNOLOGY का समावेश करते हुए और बेहतर कार्य करने की अपेक्षा की गयी। मा0 मुख्य अतिथि द्वारा गाजियाबाद के पुलिसकर्मियों हेतु प्रशिक्षण के लिए अच्छी व्यवस्था किये जाने की भी प्रशंसा की गयी तथा महिला अपराध सम्बन्धित आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी आने का उल्लेख करते हुए सुधार परिलक्षित होना बताया एवं भविष्य में इसी प्रकार अच्छा कार्य किये जाने की आशा व्यक्त की गयी। इसके साथ ही उनके द्वारा न्यायालय में लम्बित मुकद्मों की प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को दण्डित कराये जाने हेतु कहा गया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वर्तमान समय में पुलिस के समक्ष साइबर क्राइम के रूप में बड़ी चुनौती होना एवं इससे निपटने हेतु प्रशिक्षण के द्वारा पुलिस विभाग की क्षमता बढ़ाये जाने पर बल दिया गया। साथ ही साथ

गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिए भी बधाई दी। अन्त में पुलिस आयुक्त द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

यूपी-112 परियोजना के अन्तर्गत जन-जागरूक अभियान एक पहल के तहत कॉलर को किया गया सम्मानित।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा पीडित की समय से मदद और अपराध की रिपोर्ट करने के लिए यूपी-112 ने सामुदायिक पुलिसिंग हेतु जन-जागरूकता अभियान **एक पहल** की शुरुआत 12.08.2024 से की गयी है। इस अभियान के तहत लोगों को दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनका घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनके द्वारा प्रकरण की सूचना दी जा रही है, तो उनको यूपी-112 के द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से कॉलर को सम्मानित किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत श्री अर्जुन खन्ना थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 24.08.2024 को समय 15:17 बजे यूपी-112 पर सूचना दी गयी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, बेहोशी की हालत में पेड़ के पास पड़ी है। पीआरवी 1849 (कमिश्नरेट गौतमबुध्द नगर) के पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुँचकर महिला के सम्बन्ध में जानकारी की महिला मंदबुद्धि प्रतीत हो रही थी जो अपने बारे में कोई जानकारी नही दे पा रही थी। महिला के हाथ पर एक मोबाइल नम्बर लिखा था जिस पर कॉल करने पर ज्ञात हुआ कि यह नम्बर महिला के पिता संजीत का है उन्होंने बताया कि मेरी बेटी कल से लापता है। पिता को मौके पर बुलाकर लड़की को उनके सुपुर्द किया गया।

श्रीमति नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक यू.पी.-112 महोदय द्वारा जनपद गाजियाबाद निवासी श्री अर्जुन खन्ना को चिन्हित कर उनके घर जनपद गाजियाबाद में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भिजवा कर सम्मानित कराया गया। श्री अर्जुन खन्ना को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह आज दिनांक 03.09.2024 को अपराहन में यूपी-112 प्रभारी आरओआईपी उ.नि. श्री रघुनाथ सिंह द्वारा कॉलर के घर जनपद गाजियाबाद जाकर सम्मानित किया गया। आस-पास के लोगों द्वारा यूपी-112 की इस पहल की सराहना की गयी।